सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

और

के बीच

पर

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालन करने

हेतु

अनुमति मंजूरी करार

अनुमति मंजूरी करार

(*100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर*)

यह **करार** भारत के राष्ट्रपति, जो____

_________, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (इसके बाद अनुदाता कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ के प्रतिकूल होने पर भी कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिती शामिल होंगे) के माध्यम से एक पक्ष के रूप में और दूसरे पक्ष के रूप में मेसर्स

____

____

, (इसके बाद अनुमतिधारक कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ के प्रतिकूल होने पर भी व्यवसाय में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, परिसमापक और समनुदेशिती या कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे) के बीच ____________के _______ को निष्पादित किया गया है।

जबकि अनुमति धारक को ____ स्थान पर (सीआरएस के प्रस्तावित स्थान का पूरा पता) सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई थी अनुदानकर्ता द्वारा अनुमति मंजूरी करार (जीओपीए) दिनांक (मंत्रालय द्वारा भरा जाना है) ______________________________________ के तहत।

जबकि अनुमति धारक ने ____

____

_________________________ (सीआरएस के प्रस्तावित स्थान का पूरा पता) पर एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए दिनांक 13.02.2024 को जारी और उसके बाद यथा संशोधित "भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश" (जिसे आगे दिशानिर्देश कहा जाएगा) के तहत अनुमति के नवीनीकरण के लिए अनुदाता को आवेदन किया है।

और जबकि अनुमति धारक दिशानिर्देशों में किसी भी बाद के परिवर्धन, विलोपन और संशोधन का अनुपालन करने के लिए सहमत हो गया है,

और जबकि अनुमति धारक ने फ्रीक्वेंसी और एसएसीएफए मंजूरी प्राप्त कर ली है और सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू करने से पहले वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) प्राप्त करेगा,

और जबकि दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्रता शर्तों की पूर्ति और प्रतिबद्धता के अनुरूप, अनुदाता, अनुमति धारक को सामुदायिक रेडियो स्टेशन (स्टेशन का नाम) ________________________ पर (एंटीना के स्थान का पूरा पता) ____

____

में इसके बाद दर्शाए गए नियमों और शर्तों पर स्थापित करने, रखरखाव और संचालन करने की अनुमति देने के लिए सहमत है और अनुमति धारक इसे स्वीकार करने के लिए सहमत है।

इस करार में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है:

अत: यह करार निम्नलिखित का साक्षी है ;

1.1. **"अनुमति मंजूरी करार या जीओपीए"** से तात्पर्य इस करार से होगा, जिसमें बाद में किए जाने वाले सभी परिवर्धन/विलोपन/संशोधन शामिल हैं।

1.2. **"अनुमति"** से अभिप्राय इस करार के अनुसरण में अनुदाता द्वारा अनुमतिधारक को दी जाने वाली अनुमति से है।

1.3. **"सीआरएस"** से अभिप्राय सामुदायिक रेडियो स्टेशन से है।

1.4. **"डब्ल्यूपीसी"** से अभिप्राय वायरलेस योजना एवं समन्वय विंग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से है।

1.5. **"प्रभावी विकिरणित शक्ति (ईआरपी)"** से अभिप्राय अर्ध तरंग द्विध्रुव के सापेक्ष ट्रांसमीटर आउटपुट पावर और एंटीना लाभ का गुणनफल है।

2. इस करार के तहत पात्रता की शर्तों और पूर्ववर्ती शर्तों की निरंतर पूर्ति को, ध्यान में रखते हुए और इस करार के सभी निबंधनों और शर्तों के उचित निष्पादन और/या अनुपालन के अधीन और दिशानिर्देशों में बाद में किए गए किसी भी परिवर्धन, विलोपन और संशोधन के अधीन, अनुमति धारक की ओर से, अनुदानकर्ता एतद्द्वारा गैर-अनन्य आधार पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए, स्थान पर ________________________ (सीआरएस के प्रस्तावित स्थान का पूरा पता) एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालन की अनुमति

देना है।

2.1 *अनुमति करार का संचालन निम्नलिखित सभी पात्रता शर्तों और पूर्व उदाहरणों की पूर्ति और निरंतर पूर्ति पर निर्भर करेगा और आगे भी निर्भर रहेगा। अनुमतिधारक द्वारा किसी भी पात्रता शर्त या किसी भी पूर्व शर्त उदाहरण को पूरा करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप इस जीओपीए को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।*

i) *समय-समय पर यथा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार।*

ii) *अनुमतिधारक के लिए प्रभावी सुरक्षा मंज़ूरी।*

iii) *इस करार के अनुच्छेद 11.5 में यथा उल्लिखित अनुमतिधारक या विदेशी कार्मिक से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी सुरक्षा मंज़ूरी।*

iv) *डब्ल्यूपीसी से प्रभावी डब्ल्यूओएल.*

v) *इस करार पर हस्ताक्षर होने के छह माह के भीतर सीआरएस का संचालन न किया जाना।*

इनमें से किसी भी कारण से असफल होने पर, यह करार किसी भी पक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई के बिना समाप्त हो जाएगा और अनुमतिधारक असमाप्त अवधि के नुकसान होने की स्थिति में किसी भी मुआवजे के लिए हकदार नहीं होगा।

3. अनुमति की अवधि

अनुमति पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, अर्थात ______________ से ______________ तक, जब तक कि इसे पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता है, जैसा कि नीचे प्रावधान किया गया है:

4. करार की सामान्य शर्तें और निबंधन

4.1 अनुमति हस्तांतरणीय नहीं है। अनुमतिधारक इस करार के तहत किसी भी तरह से

अपने अधिकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य पक्ष को नहीं सौंपेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा कोई भी उल्लंघन इस करार का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार को समाप्त किया जा सकता है।

4.2 अनुमतिधारक को अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन की सेवाएं फ्री-टू-एयर आधार पर उपलब्ध करानी होंगी।

4.3 अनुमतिधारक को अनुमति की अवधि के दौरान अनुदाता के पक्ष में 25,000/- रुपये मात्र (पच्चीस हजार रुपये) की राशि की बैंक गारंटी की वैधता बनाए रखनी होगी।

4.4 इसके द्वारा संचालित किए जाने वाले सी.आर.एस. को इसके कवरेज क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सेवा के लिए बनाया जाना चाहिए।

4.5 अनुमतिधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमति की अवधि के दौरान सीआरएस के स्वामित्व और प्रबंधन ढांचे में उस समुदाय के सदस्यों का हर समय पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, जिन्हें सीआरएस सेवा प्रदान करना चाहता है।

4.6 अनुमति मंजूरी करार एक बार में पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। विस्तार, आवेदन के आधार पर और अनुमति के निबंधन और शर्तों के पालन के सत्यापन के आधार पर दिया जाएगा। विस्तार के लिए आवेदन मौजूदा जीओपीए की समाप्ति से एक वर्ष पहले प्रस्तुत किया जाएगा। मौजूदा सीआरएस का जीओपीए लाइसेंसधारी के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार वैध रहेगा।

5. सामग्री विनियमन और निगरानी

5.1 कार्यक्रम समुदाय के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम स्थानीय समुदाय के विशेष हितों और आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले होने चाहिए।

5.2 लाइसेंसधारी स्थानीय समुदाय के सदस्यों वाली एक सलाहकार और सामग्री समिति गठित करेगा जो सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री पर निर्णय लेगा। सलाहकार और सामग्री समिति के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी

चाहिए।

5.3 कम से कम 50% सामग्री स्थानीय समुदाय की भागीदारी से तैयार की जाएगी, जिसमें से कम से कम आधी सामग्री महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होनी चाहिए और विषय पोषण, स्तनपान, गर्भावस्था, व्यंजन विधि और सौंदर्य से परे होने चाहिए।

5.4 कार्यक्रम अधिमानतः स्थानीय भाषा और बोली में होने चाहिए।

5.5 अनुमतिधारक को प्रसार भारती द्वारा आकाशवाणी के लिए निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का पालन करना होगा।

5.6 अनुमतिधारक को सीआरएस द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रमों को प्रसारण की तिथि से तीन माह तक सुरक्षित रखना होगा।

5.7 अनुमतिधारक ऐसे किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करेगा, जो 'समाचार और समसामयिक विषयों से संबंधित हो और अन्यथा राजनीतिक प्रकृति का हो। तथापि, सीआरएस आकाशवाणी से प्राप्त समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री को उसके मूल रूप में या स्थानीय भाषा/बोली में अनुवादित करके प्रसारित कर सकता है। आकाशवाणी बिना किसी शुल्क के सीआरएस को अपने समाचार उपलब्ध कराएगा। यह सुनिश्चित करना सीआरएस अनुमतिधारक की जिम्मेदारी होगी कि अनुवाद के दौरान समाचार को विकृत या संपादित न किया जाए।

निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित प्रसारण को गैर-'समाचार और समसामयिक विषयों का प्रसारण माना जाएगा और इसलिए स्वीकार्य होगा:

i) खेल आयोजनों से संबंधित सूचना जिसमें लाइव कवरेज शामिल नहीं है। तथापि, स्थानीय प्रकृति के खेल आयोजनों की लाइव कमेंट्री की अनुमति हो सकती है;

ii) यातायात और मौसम से संबंधित सूचना;

iii) स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों से संबंधित सूचना और कवरेज;

iv) परीक्षा, परिणाम, प्रवेश, कैरियर परामर्श से संबंधित विषयों का कवरेज;

v) रोजगार के अवसरों की उपलब्धता;

vi) स्थानीय प्रशासन द्वारा बिजली, पानी की आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य चेतावनियों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं से संबंधित सार्वजनिक घोषणाएं; तथा

vii) ऐसी अन्य श्रेणियां जिनकी वर्तमान में अनुमति नहीं है, जिन्हें बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से अनुमति दी जा सकती है।

5.8 अनुमतिधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रसारित कार्यक्रमों में ऐसा कुछ भी शामिल न हो जो/जिसमें:

i) अप्रिय या गरिमा के विरुद्ध हो;

ii) मित्र देशों की आलोचना शामिल हो;

iii) धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द शामिल हों या जो सांप्रदायिक असंतोष या वैमनस्य को बढ़ावा देते हों या जिसके परिणामस्वरूप बढ़ावा मिलता हो;

iv) कुछ भी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, झूठे और विचारोत्तेजक संकेत और अर्धसत्य शामिल हो;

v) हिंसा को प्रोत्साहित या भड़काने की संभावना हो या जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के विरुद्ध कुछ हो या जो राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता हो;

vi) न्यायालय की अवमानना या राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात शामिल हो;

vii) राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका की गरिमा के विरुद्ध व्यक्तियों को शामिल करता हो;

viii) किसी व्यक्ति विशेष या कुछ समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के क्षेत्रों की आलोचना, बदनामी या निंदा करता हो;

ix) अंधविश्वास या अंध श्रद्धा को प्रोत्साहित करता हो;

x) महिलाओं को बदनाम करता हो;

xi) बच्चों को बदनाम करता हो; और

xii) शराब, नशीले पदार्थों और तम्बाकू सहित मादक पदार्थों के उपयोग को वांछनीय के रूप में प्रस्तुत/चित्रित करता हो/सुझाव दे सकता हो या जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, लिंग, यौन वरीयता, धर्म, आयु या शारीरिक या मानसिक विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ घृणा को भड़का सकता हो,

बदनाम कर सकता हो या उसे बनाए रखने का प्रयास कर सकता हो।

5.9 अनुमतिधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में उचित सावधानी बरती जाए ताकि निम्नलिखित से बचा जा सके:

i) धार्मिक संवेदनशीलताओं का शोषण; और

ii) किसी धर्म विशेष या धार्मिक संप्रदाय से संबंधित लोगों के धार्मिक विचारों और विश्वासों का अपमान करना।

6. ट्रांसमीटर की क्षमता और सीमा

अनुमतिधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि एंटीना सहित ट्रांसमिशन उपकरण निम्नलिखित तकनीकी मानकों के अनुरूप हों:-

i) ट्रांसमीटर की क्षमता: ईआरपी 100 वाट तक

ii) भूमि से एंटीना की ऊंचाई: 30 मीटर तक। तथापि, आरएफ रेडिएशन के जैविक खतरों की संभावना को रोकने के लिए भूमि से एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए।

iii) एंटीना का स्थान:____
(सेवा प्रदान किये जाने वाले समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर)

7. वित्तपोषण एवं संपोषण

7.1 अनुमतिधारक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत एफसीआरए मंजूरी प्राप्त करने के बाद बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों से निधि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

7.2 जनहित की सूचना प्रसारित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को छोड़कर प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, स्थानीय कार्यक्रमों, स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं तथा रोजगार के अवसरों से संबंधित सीमित विज्ञापन और घोषणाओं की अनुमति होगी। ऐसे सीमित विज्ञापन की अधिकतम अवधि प्रसारण के प्रति घंटे 12 (बारह) मिनट तक सीमित होगी।

7.3 उपर्युक्त पैरा (7.2) के अनुसार प्रायोजित कार्यक्रमों, विज्ञापनों और घोषणाओं के प्रसारण से प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रचालन संबंधी व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पूरी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, अधिशेष निधि को अनुदाता की पूर्व लिखित अनुमति से संगठन की प्राथमिक कार्यकलाप में लगाया जा सकता है, अर्थात शैक्षणिक संस्थानों के मामले में शिक्षा के लिए और उन प्राथमिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिसके लिए संबंधित एनजीओ की स्थापना की गई थी।

7.4 अनुमतिधारक को सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाने वाले संगठन/डिवीजन के संबंध में अनुदाता को अपने ऑडिट किए गए वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। लेखाओं में सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संबंध में अर्जित की गई आय और व्यय और संपत्ति और देनदारियां स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक संपरीक्षित लेखे/बैलेंस शीट उनके अंतिम रूप देने के एक महीने के भीतर, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर से पहले प्रस्तुत की जाएंगी।

7.5 अनुदाता को अपने विवेक पर सीआरएस के लेखाओं का सीएजी या किसी अन्य पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट कराने का अधिकार होगा। मतभेद के मामले में, अनुमतिधारक को सुनवाई के अवसर के अध्यधीन, सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के विचार मान्य होंगे।

8. निगरानी और लोक शिकायतें:

8.1 अनुमतिधारक को अपने खर्च पर करनी होंगी:

i) प्रसारण सामग्री की रिकॉर्डिंग को प्रसारण की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए परिरक्षित रखना तथा उसे जब और जैसे आवश्यक हो, अनुदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत करना, और

ii) अनुदाता की मांग पर, अनुदाता द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में प्रसारण सेवा की निरंतर निगरानी के लिए निर्दिष्ट स्थान पर आवश्यक उपकरण, सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना।

8.2 अनुमतिधारक को अपने प्रसारण के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जो समय-समय पर अनुदाता द्वारा अपेक्षित हो।

8.3 अनुमतिधारक को समय-समय पर, कार्यक्रम की विषय-वस्तु और गुणवत्ता, प्रसारण से संबंधित तकनीकी मापदंडों आदि के संबंध में ऐसी कोई भी जानकारी प्रदान करनी होगी, जो अनुदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में समय-समय पर मांगी जाए।

8.4 अनुदाता विज्ञापनों की अधिकतम सीमा की निगरानी और प्रवर्तन के लिए विशेष व्यवस्था करेगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस दिए गए हैं और अनुमतिधारक को पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा।

9 निरीक्षण

9.1 अनुदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। इसमें सामुदायिक रेडियो स्टेशन के बुनियादी ढांचे और रिकॉर्ड तक पहुंच शामिल है, लेकिन यह इस तक सीमित नहीं है। अनुदाता को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पूर्व अनुमति या सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। अनुमतिधारक, यदि अनुदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो वह अपने कार्यकलापों और कार्यों के विशिष्ट पहलुओं की निरंतर निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

9.2 अनुदाता सामान्यतः उचित सूचना देने के बाद ही निरीक्षण करेगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां ऐसी सूचना देने से निरीक्षण का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

10 अप्रत्याशित घटना

10.1 यदि किसी भी समय, इस अनुमति की निरंतरता के दौरान, युद्ध, शत्रुता, शत्रु के कृत्यों, सिविल उपद्रव, तोड़फोड़, आग, बाढ़, राज्य कृत्य, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, प्राकृतिक आपदाएं, प्रभावित पक्ष के किसी भी दायित्व के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली सामान्य हड़ताल, या दैवीय कार्य (इनमें से सभी या किसी को यहां बाद में "अप्रत्याशित घटना" के रूप में संदर्भित किया गया है), के कारण किसी भी पक्ष द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी दायित्व के निष्पादन को रोका या विलंबित किया जाता है तो ऐसी अप्रत्याशित घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुमति को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही ऐसे गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में, किसी भी पक्ष के पास दूसरे के खिलाफ क्षति के लिए कोई दावा होगा, बशर्ते कि ऐसी किसी अप्रत्याशित घटना की सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा उसके घटित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अप्रभावित पक्ष को दी जाए।

11 राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्य स्थितियाँ

11.1 अनुदाता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध या कम तीव्रता वाले संघर्ष या इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में अनुमतिधारक की संपूर्ण सेवाओं और नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लेने या अनुमति को रद्द/समाप्त/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है।

11.2 अनुमतिधारक की सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए अनुमतिधारक द्वारा नियुक्ति, अनुबंध, परामर्श आदि के माध्यम से तैनात किए जाने वाले सभी विदेशी कार्मिकों को भारत सरकार से पूर्व सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

11.3 अनुमति प्रदान करने के अनुबंध में कहीं भी निहित किसी बात के होते हुए भी, अनुदाता के पास अनुमतिधारक को किसी विशेष संदेश को प्रसारित करने का निर्देश देने की शक्ति होगी, जिसे प्राकृतिक आपातकाल, या लोक हित या प्राकृतिक आपदा आदि से उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए वांछनीय माना जा सकता है और अनुमतिधारक ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

11.4 अनुमति इस शर्त के अध्यधीन पर है कि अनुमति धारक द्वारा अनुमति की अवधि के दौरान सुरक्षा मंजूरी बनाए रखी जाएगी। यदि सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली जाती है, तो इस करार के तहत दी गई अनुमति तत्काल समाप्त हो जाएगी।

11.5 यदि अनुमतिधारक से संबद्ध किसी व्यक्ति या विदेशी कार्मिक की सुरक्षा मंजूरी किसी भी कारण से वापस ले ली जाती है, तो अनुमतिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदाता से ऐसे निर्देश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति तुरंत त्यागपत्र दे दे या उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, अन्यथा दी गई अनुमति समाप्त की जा सकेगी।

12 निबंधन एवं शर्तों को संशोधित करने की शक्ति

12.1 अनुदाता के पास किसी भी समय, लोक हित में या प्रसारण के उचित संचालन के लिए या सुरक्षा कारणों से, निबंधन और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। यह करार अनुदाता द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तों के अधीन होगा।

13 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य कानूनों का अनुप्रयोग

13.1 यह अनुमति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के प्रावधानों, समय-समय पर यथासंशोधित, और कोई अन्य कानून जो लागू हो या लागू किया जाना हो, द्वारा शासित होगी।

13.2 इस करार में कहीं भी निहित किसी बात के होते हुए भी, अनुमति प्रदान करना इस शर्त के अधीन होगा कि जब भी देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित और निगरानी करने के लिए कोई नया विनियामक प्राधिकरण गठित किया जाता है, तो अनुमतिधारक भारत में प्रसारण सेवा को विनियमित और निगरानी करने के लिए ऐसे प्राधिकरण या किसी लागू कानून द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

14 अनुमति का समापन

14.1 गैर-प्रचालन के परिणाम

14.1.1 अनुमतिधारक को करार पर हस्ताक्षर करने के छह महीने के भीतर रेडियो स्टेशन चालू करना होगा, अन्यथा प्रदत्त अनुमति, सुनवाई, का अवसर देने के बाद रद्द की जा सकती है। यदि अनुमतिधारक निर्धारित अवधि के भीतर रेडियो स्टेशन चालू करने में विफल रहता है, तो अनुमतिधारक की अनुदाता को दी गई बैंक गारंटी भी जब्त हो जाएगी।

14.2 प्रचालन बंद करने के परिणाम

14.2.1 यदि अनुमतिधारक प्रचालन शुरू होने के बाद 3 महीने से अधिक समय तक प्रसारण गतिविधि बंद रखता है, तो उसकी अनुमति रद्द की जा सकती है और फ्रीक्वेंसी अगले पात्र आवेदक को आवंटित कर दी जाएगी।

14.3 अनुमति हस्तांतरण के परिणाम

14.3.1 खंड 4.1 के उल्लंघन में अनुमति के हस्तांतरण के मामले में, अनुमति समाप्त की जा सकती है और न तो अनुमतिधारक और न ही हस्तांतरित व्यक्ति भविष्य में पांच साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नई अनुमति के लिए आवेदन

करने के लिए पात्र होंगे। *<u>इसके अलावा, अनुमतिधारक अनुदाता को दी गई बैंक गारंटी भी जब्त हो जाएगी।</u>*

14.4 निर्देशों के दुरुपयोग और गैर-अनुपालन के परिणाम:

14.4.1 अनुमतिधारक द्वारा स्वयं या किसी और को अपनी सुविधाओं का उपयोग किसी भी अनधिकृत सामग्री, संदेश या संचार को प्रसारित करने के लिए देने पर या खंड-11.5 के अनुसार निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर, दी गई अनुमति रद्द कर दी जाएगी और अनुमतिधारक को भविष्य में पांच साल की अवधि के लिए ऐसी किसी भी अनुमति को रखने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, इसके अलावा वह अन्य लागू कानूनों के तहत दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। ऐसे मामलों में अनुमतिधारक सरकार दी गई बैंक गारंटी भी जब्त कर लेगा।

14.5 अपात्रता के कारण समापन

14.5.1 यदि कंपनी अनुमति की अवधि के दौरान किसी भी समय दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहती है या इसकी सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली जाती है, तो सरकार किसी भी समय, बिना अनुमतिधारक को मुआवजा दिए, इस करार और अनुमति को समाप्त कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा समापन अनुदाता को प्राप्त किसी भी कार्रवाई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या प्रभावित नहीं करेगा। *<u>इसके अलावा, अनुमतिधारक की अनुदाता को दी गई बैंक गारंटी भी जब्त हो जाएगी।</u>*

14.6 रिकॉर्डिंग को परिरक्षित करने में विफलता के परिणाम

14.6.1 उपरोक्त खंड 8.1 के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न किए जाने की स्थिति में दी गई अनुमति रद्द की जा सकती है। *<u>इसके अतिरिक्त, अनुमतिधारक की अनुदाता को दी गई बैंक गारंटी भी जब्त हो जाएगी।</u>*

14.7 अन्य मामलों में गैर-अनुपालन/उल्लंघन के परिणाम

14.7.1 यदि खंड 5 में उल्लिखित शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो सरकार *स्वतः* संज्ञान लेकर या शिकायतों के आधार पर मामले को उचित शास्ति की सिफारिश करने के

लिए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं संबंधी अंतर-मंत्रालयी समितियों के समक्ष रख सकती है। समिति की सिफारिश पर शास्ति लगाने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, शास्ति लगाने से पहले अनुमतिधारक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

14.7.2 शास्ति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) पहली बार उल्लंघन के मामले में एक माह तक की अवधि के लिए सीआरएस के संचालन की अनुमति का अस्थायी रूप से निलंबन।

(ii) दूसरी बार उल्लंघन करने के मामले में उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर तीन माह तक की अवधि के लिए सीआरएस के संचालन की अनुमति का अस्थायी रूप से निलंबन।

(iii) इसके पश्चात किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए अनुमति को रद्द करना।

14.7.3 अनुमति रद्द होने की स्थिति में, भविष्य में अनुमतिधारक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नई अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। "बशर्ते कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार लगाई गई शास्ति समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के प्रतिकूल नहीं होगा।"

14.7.4 पैरा सं 14.7.1 से लेकर 14.7.3 में उल्लिखित अनुमति के निलंबन की स्थिति में, अनुमतिधारक निलंबन अवधि के दौरान भी अनुमति मंजूरी करार के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा।

14.8 सुविधा का समापन

14.8.1 अनुमतिधारक, अनुदाता के साथ-साथ सभी संबंधित या प्रभावित पक्षों को एक माह का अग्रिम नोटिस देकर अनुमति को अभ्यर्पित कर सकता है और इस करार को समाप्त कर सकता है।

15. अन्य पक्षों के साथ विवाद

15.1 अनुमतिधारक और अनुदाता के अलावा किसी अन्य पक्ष (अनुमति और/या प्रसारण सेवाओं आदि के संबंध में) के बीच किसी भी कारण से किसी भी विवाद की स्थिति में, ऐसे विवाद को दूसरे पक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से या अन्यथा हल करना केवल अनुमतिधारक की जिम्मेदारी होगी और अनुदाता की इस संबंध में कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अलावा अनुमतिधारक एतदद्वारा अनुमतिधारक, उसके एजेंटों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों या सेवकों की ओर से किसी भी भूलचूक के लिए अनुदाता के खिलाफ किसी भी कार्रवाई, दावा, मुकदमा, कार्यवाही, क्षति या नोटिस के संबंध में पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने और अनुदाता को हानि रहित रखने का वचन देता है।

15.2 बशर्ते कि यदि इस अनुमति करार में दिए गए अनुसार, अनुमतिधारक द्वारा किसी नियम या विनियम या किसी अन्य निबंधन व शर्तों का पालन न करने या उल्लंघन करने के कारण ऐसा कोई तृतीय पक्ष विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुदाता को भी इस अनुमति करार में दिए गए अनुसार अनुमतिधारक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

16. विवाद समाधान और अधिकार क्षेत्र

*पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे इस करार से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच किसी भी दावे, विवाद या मतभेद के संबंध में भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण/प्राधिकरण से निषेधाज्ञा या कोई अंतरिम/अंतरिम आदेश नहीं मांगेंगे, सिवाय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (" **टीडीएसएटी** ") के समक्ष। पक्षों के बीच सभी विवादों का समाधान टीडीएसएटी के समक्ष किया जाएगा।*

17. डब्ल्यूपीसी विंग की अनुमति

17.1 जैसा कि पहले बताया गया है, सीआरएस को संचालित करने से पहले अनुमतिधारक को संचार मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी विंग से अलग से विशिष्ट लाइसेंस यानी वायरलेस ऑपरेशनल लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जो ऐसे लाइसेंस की सामान्य निबंधन और शर्तों के तहत सीआरएस के संबंधित वायरलेस घटक की स्थापना और संचालन के लिए उपयुक्त आवृत्तियों/बैंड के उपयोग की अनुमति देता है। ऐसे लाइसेंस को प्रदान करना नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगा और डब्ल्यूपीसी विंग की सभी आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होगा।

17.2 इस प्रयोजन के लिए "भारत सरकार के वायरलेस सलाहकार, डब्ल्यूपीसी विंग, दूरसंचार

विभाग और संचार मंत्रालय” को आवेदन निर्धारित आवेदन प्रपत्र में किया जाएगा ।

17.3 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए डब्ल्यूपीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित लाइसेंस शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान अनुमतिधारक द्वारा किया जाएगा।

17.4 अनुमतिधारक रेडियो स्पेक्ट्रम के अन्य अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक हस्तक्षेप नहीं करेगा। डब्ल्यूपीसी विंग को अन्य लाइसेंस प्राप्त उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक हस्तक्षेप, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक और आवश्यक कदम उठाने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

17.5 वायरलेस योजना एवं समन्वय विंग, संचार मंत्रालय को समय-समय पर तकनीकी दृष्टिकोण से इंस्टालेशन का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, ताकि डब्ल्यूओएल शर्तों से अनुरूपता की जांच की जा सके।

18. विविध

18.1 साझेदारी का निषेध - इस करार में किसी भी बात का अर्थ पक्षों के बीच साझेदारी या एजेंसी के रूप में नहीं समझा जाएगा और अनुमतिधारक कोई आश्वासन, वचन या प्रसंविदा नहीं करेगा और न ही वह स्वयं को अनुदाता की ओर से ऐसा करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में प्रकट करेगा और न ही वह इस करार के संबंध में किसी सव्यंहार के लिए अनुदाता के ऋण को गिरवी रखेगा।

18.2 रोजगार का निषेध - इस करार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुमतिधारक या इस करार के तहत उसके द्वारा या उसके अधीन नियोजित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के रोजगार का प्रस्ताव या आश्वासन प्रदान करता हो।

18.3 सरकार को क्षतिपूर्ति - अनुमतिधारक इस करार को निष्पादित करने या निष्पादित करने का दावा करते समय अनुमतिधारक या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या पेशेवर आदि के किसी कार्य या चूक के कारण किसी को हुई व्यक्तिगत चोट या चल या अचल संपत्ति की हानि के लिए सरकार को किसी भी प्रत्यक्ष नुकसान या किसी तीसरे व्यक्ति के किसी भी दावे के खिलाफ हर समय क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखेगा।

18.4 अधित्यजन का निषेध - किसी पक्ष द्वारा किसी समय इस करार के किसी प्रावधान के निष्पादन की अपेक्षा करने के लिए कोई प्रविरिति, अनुग्रह अथवा शिथिलीकरण ऐसे पक्ष के उस प्रावधान के निष्पादन के लिए अपेक्षा करने के अधिकार को किसी भी तरह प्रभावित और कम नहीं करेगा अथवा न ही प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। किसी पक्ष द्वारा कोई अधित्यजन अथवा इस करार के किसी प्रावधान के भंग होने का अर्थ तब तक स्वयं में अधित्यजन अथवा संशोधन नहीं माना जाएगा जब तक अधित्यजन का प्रयोग करने वाले पक्ष द्वारा लिखित में ऐसा उल्लेख न कर दिया गया हो।

18.5 संपूर्ण करार - यह करार और अनुसूचियाँ मिलकर पक्षों के बीच करार के निबंधन का एक पूर्ण और अनन्य विवरण बनाती हैं। इस करार से संबंधित सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ, प्रस्ताव या हर तरह के अन्य संचार निरस्त और वापस लिए जाते हैं।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने-अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस करार को उपरोक्त वर्णित दिन, माह और वर्ष में निष्पादित किया है।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से ____ अपर निदेशक (सीआरएस) द्वारा हस्ताक्षरित, निष्पादित और परिदत्त

____

की ओर से उनके रजिस्ट्रार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हस्ताक्षरित, निष्पादित और परिदत्त

******